

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/74

प.स. 831ई/ 6 सी.पी.सी./ Washing All 08

दिनांक 17/02/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Revision of Nurshing Allowance, Uniform Allowance
and Washing Allowance on the recommendations of
the Sixth Central Pay Commission.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)I-2009/AL/1 दिनांक 06/02/2009
(आर.वी.ई.सं.24/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI No. 74/09 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र E(P&A)I-98/AL/1 दिनांक 17/9/98
की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 11466/97-PCV-73 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

सलग्न/यथावत

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएनयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव;ओभोओजाओ/ओजओजाओ रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नईदिल्ली-24
4. महासचिव;ओभोओपिओवओ रेल कर्मचारी संगठन 171/ए,3 बसंत लेन नई दिल्ली।



भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं. 74/09
आर बी ई सं. 24/09

सं. ई(पी एंड ए)I-2009/एएल/1

नई दिल्ली, दिनांक 02.02.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर नर्सिंग भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता का संशोधन।

संदर्भ: 1) बोर्ड के 17.09.98 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-98/एएल/1.

2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 19.11.08 का का.ज्ञा. सं. जेड 28015/71/2008-एन।

उपर्युक्त विषय पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, राष्ट्रपति जी, रेलवे अस्पताल में कार्यरत और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी स्तरों पर सभी कोटियों के नर्सिंग कार्मिकों के निम्नलिखित भत्तों की मौजूदा दरों को नीचे दिए गए विवरणानुसार बढ़ाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	भत्ता	मौजूदा दर	संशोधित दर
1.	नर्सिंग भत्ता	1600/- रुपए प्रति महीने	3200/- रुपए प्रति महीने
2.	वर्दी भत्ता	3000/- रुपए प्रतिवर्ष	6000/- रुपए प्रतिवर्ष
3.	धुलाई भत्ता	150/- रुपए प्रति महीने	300/- रुपए प्रति महीने

2. जब भी कभी संशोधित वेतन संरचना पर देय मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, इस भत्ते की दर स्वतः 25% तक बढ़ जाएगी।

3. संशोधित दरें 01 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

ESST-E (PRAH)

②
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

PC- VI No. 74 /09
RBE No. 24 /09

No. E(P&A)I-2009/AL/1

New Delhi, dt. 06.02. 2009.

The General Managers,
All Indian Railways /Production Units.

Sub:- Revision of Nursing Allowance, Uniform Allowance and
Washing Allowance on the recommendations of the Sixth
Central Pay Commission.

Ref:- 1) Board's letter No. E(P&A)I-98/AL/1 dated 17.9.98.

2) M/o H& FW's O.M. No.Z.28015/71/2008-N dt. 19.11.2008.

In reference to the recommendations of the VIth Central Pay Commission on the above subject, the President is pleased to sanction enhancement of existing rates of the following allowances to the Nursing Personnel of all categories at all levels, working in Railway Hospitals and registered under the Indian Nursing Council Act, as detailed below:-

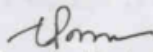
Sl. No.	Allowance	Existing rate	Revised rate
1.	Nursing Allowance	Rs. 1600/-p.m	Rs. 3200/-p.m.
2.	Uniform Allowance	Rs. 3000/- per annum	Rs. 6000/- per annum
3.	Washing Allowance	Rs. 150/- p.m.	Rs. 300/- p.m.

2. The rates of these allowances will be increased by 25% whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.

3. The revised rates will be effective from September 01, 2008.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

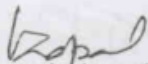

(Chander Parkash)
Jt. Director Estt.(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)I-2009/AL/1

New Delhi, dt. 06.02. 2009.

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

...2/-